

प्रशान्त वर्मा
निदेशक (वाणिज्य)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग

लखनऊ - 226001

ई-मेल -directorcomm@uppl.org

☎: 0522-2287806

CIN:U32201UP1999SGC024928

पत्रांक: 372/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0 (16)

दिनांक: 31 जनवरी, 2026

विषय :- "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,

पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल

विद्युत वितरण निगम लि०

मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।

[md@pvnvl.org / md@dvvnvl.org / md@mvvnvl.org /

md@puvvnvl.in / mdkesco@kesco.org.in]

महोदया/महोदय,

विदित है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 3308/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0-दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांक 13.11.2025 निर्गत करते हुए समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल0एम0वी0-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" लागू की गयी है। योजना में पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक निर्धारित है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि को **दिनांक 05.02.2026** तक विस्तारित किया जाता है।

"बिजली बिल राहत योजना 2025-26" की अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

Prashant Verma
31-01-2026

(प्रशान्त वर्मा)

निदेशक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० ऊर्जा मंत्री, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ०प्ला०/का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड।
8. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।